

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-21/2015 परि0...../

प्रेषक,

आजीव वत्सराज,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरवाहन निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- **M/S-Maruti Suzuki India Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s- Maruti Suzuki India Ltd. के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model T.A. Certificate	Variant	Types of Vehicle	Ex-showroom Price
1	Maruti Baleno RS Petrol AALN 0345/20-12-2016	1. Maruti Baleno RS Petrol Taxi	(Passenger Car)-M1	कंपनी/डीलर द्वारा वांछित मूल्य सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
2	Maruti S-Cross Sigma AAKN 0023 F02/17-11-2016	1. Maruti S-Cross Sigma (o) 2. Maruti S-Cross Delta 3. Maruti S-Cross Zeta 4. Maruti S-Cross Alpha 5. Maruti S-Cross Taxi	(Passenger Car)-M1	Rs. 8,34,550/- से 10,97,062/-
3	Maruti S-Cross 1.6 Delta AAKN 0083 F01/17-11-2016	1. Maruti S-Cross 1.6 Zeta 2. Maruti S-Cross 1.6 Alpha 3. Maruti S-Cross 1.6 Taxi	Rigid (Passenger Car)-M1	Rs. 10,59,504/- से 12,43,798/-

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रांड वथीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मांग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कंपनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन प्राधिकृत का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। विना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पत्रियों की नियमित जाँच करने हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0 / -

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

